(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एरा0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2484–दो/2015 – विरूद्व आदेश दिनांक 13–5–15 एंव 6–7–15 – पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 343/2013–14 अपील

1– सत्यप्रकाश दुबे पुत्र सोहनलाल
2– उर्मिला दुबे पत्नि सोहनलाल दुबे
दोनों निवासी जयकुंज शिवनगर रीवा ———आवेदकगण

विरूद्व

1– श्रीमती मीनाक्षी दीक्षित पत्नि अशोककुमार
निवासी कोठी रोड रीवा हाल पता ई 2400
सुदामानगर इंदौन मध्य प्रदेश
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 02–05– 2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 343/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–15 एंव 6–7–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ 74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 7–2–2014 के विरूद्व अनावेदक क–1 ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 2484–दो/2015 प्रस्तुत की। पेशी 13–5–15 को इस न्यायालय के अनावेदक क–1 के अभिभाषक ने अपर आयुक्त को अवगत कराया कि इस न्यायालय के आवेदकगण के अभिभाषक लम्बी पेशी लेकर चले गये हैं इसलिये पेशी कम की जाये, उन्होंने लेखी बहस भी प्रस्तुत कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने पेशी 11–6–15 नियत करते हुये रिस्पा. को सूचना देने का निर्णय लिया एंव प्रकरण रिस्पा. के तर्क हेतु नियत किया।

उक्त के वाद नियत पेशी 6–7–15 को प्रकरण लिया जाकर आगामी तिथि 28–8–15 नियत की गई, किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने पुनश्च कर प्रकरण लिया एंव अंकित किया कि रिस्पा. लम्बी पेशी लेकर चले गये हैं। अपीलांट व्दारा पूर्व से लिखित तर्क पेश है । रिस्पा. 25–8–15 तक लिखित तर्क पेश कर सकते हैं तथा प्रकरण दिनांक 28–8–15 को आदेश हेतु नियत कर दिया गया। इन्हीं दो अंतरिम आदेशों के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर एव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 343/2013–14 अपील की आर्डरशीट दिनांक 13–5–15 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस दिन आर्डरशीट लिखी जाकर प्रकरण 11–6–15 को तर्क हेतु नियत किया गया है किन्तु आर्डरशीट के हासिये में श्री सत्यप्रकाश दुबे अभिभाषक ने 6–7–15 लिखकर आर्डरशीट टीप की है तात्पर्य यह है कि बिना पीठासीन अधिकारी के प्रकरण लिये अभिभाषक स्वेच्छा से 6–7–15 की पेशी टीप कर गये, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी (अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा) व्दारा आर्डरशीट दिनांक 13–5–15 में लिया गया निर्णय दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

5/ आर्डरशीट दिनांक 6–7–15 में लिये गये अंतरिम आदेश के विरूद्व निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर विचार किया गया। आर्डरशीट दिनांक 6–7–15 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस तिथि को अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व प्रवाचक ने मुद्रॉकित मोहर लगाकर प्रकरण 28–8–15 की पेशी नियत करते हुये हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा पुनश्च लिखकर निर्णय लिया है कि जब अपीलांट पूर्व की पेशियों पर लिखित तर्क प्रस्तुत कर चुके है रिस्पा. के अभिभाषक को लम्बी पेशी लेकर नहीं जाना था अपितु लिखित तर्क अथवा मौखिक तर्क प्रस्तुत करना थे जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने 25–8–15 तक रिस्पा. के अभिभाषक को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु हिदायत कर प्रकरण 28–8–15 को आदेश हेतु नियत किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 343/2013–14 अपील में आये तथ्यों के अवलोकन परिलक्षित है कि आवेदकगण ने प्रकरण में विलम्ब करने एंव प्रकरण का अंतिम निराकरण न होने पावे – उद्वेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है जो सारहीन है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 343/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–15 एंव 6–7–15 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर